न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 05/2018

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. लहराराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।	

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 30.09.2019

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत अप्रार्थी तहसीलदार सोजत के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 1890 के खसरा संख्या 356 रकबा 2.4600 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। जो कृषि भूमि सैटलमेंट के पुराने खसरा संख्या 84 मीन व 103/1 मीन से मिलकर बना है, जो कि सैटलमेंट के खसरा मिलान सम्वत् 2028—2029 से स्पष्ट है। जिस खसरा मिलान में खतेदार के रूप में मानाराम, बस्ताराम पिसरान मंगलाराम व लहराराम, गमाराम पिसरान बस्ताराम घांची के नाम दर्ज सुदा है अर्थात् उक्त खसरा मिलान में प्रार्थी लहराराम का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज सुदा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 356 रकबा 2.4600 हैक्टर की कृषि भूमि में वक्त सेटलमेंट के खसरा मिलान में प्रार्थी लहराराम का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज सुदा है। लेकिन सैटलमेंट के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुनः उक्त कृषि भूमि की खतौनी जमाबंदी तैयार की गई, जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा पैनऑफ मिस्टेक व सदभाविक भूलवश प्रार्थी लहराराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में बोहराराम इन्द्राज कर दिया, जो कि गलत है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम लहराराम ही है तथा राजस्व रेकर्ड में भी सैटलमेंट पूर्व लहराराम नाम ही इन्द्राज चला आया है। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात परिचय पत्र, आधार कार्ड, बिजली, पानी के बिल इत्यादि में प्रार्थी का नाम लहराराम पुत्र बस्तीराम घांची ही दर्ज चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में सैटलमेंट पश्चात प्रार्थी की अनुपस्थिति में लहराराम की बजाय उक्त नाम बोहराराम दर्ज करवा दिया गया था। बल्कि बस्तीराम के मात्र दो पुत्र लहराराम एवं गमाराम ही है, अन्य बोराराम का कोई पुत्र या परिवार में सदस्य नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटलमेंट के पश्चात राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लहराराम के स्थान पर बोहराराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी। प्रार्थी अनपढ वृद्ध व्यक्ति होने से उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 18.09.2017 को प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में लहराराम दर्ज न होकर बोहराराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की व पुराने दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि सेटलमेंट के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नंबर 356 में प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में 1/4 हक हिस्सा की भूमि में लहराराम के स्थान पर बोहराराम नाम दर्ज कर दिया गया। जो कि पैन ऑफ मिस्टेक, सद्भाविक त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में बोहराराम नाम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी को वादस्थ कृषि भूमि पर मिलने वाली सरकारी सहायता राशि एवं अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

अपना नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाना चाहता है तथा बोहराराम के स्थान पर लहराराम के नाम से दर्ज करवाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में स्थित होने व इन्द्राज दुरूस्ती का होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ कृषि भूमि के मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 1890 में खसरा नंबर 356 रकबा 2.4600 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बोहराराम के स्थान पर लहराराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व दुरूस्ती किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया।

अप्रार्थी लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश किया सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने जबाब इस आशय का पेश किया है कि पैरा मे विवेचित भूमि मौजा सोजत चक प्रथम मे स्थित हैं। उक्त वर्णित तथ्यो के संबंध में प्रार्थी स्वयं माननीय न्यायालय मैं साक्ष्ये सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत किसी तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से साबित करने का भार उसी व्यक्ति का होता है जो उस तथ्यो को प्रकट करता है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यो को स्वयं प्रार्थी के स्तर से ही साक्ष्यो को साबित किया जाना परिलक्षित होने से इस संबंध में राज्य की तरफ से किसी प्रकार का प्रत्युतर अपेक्षित नही है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने सरहद मौजा–सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 356 का खसरा मिलान संवत 2028 की जमाबंदी संवत् 2042 से 2045, संवत् 2046 से 2049, सवंत् 2050 से 2053, संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ एवं लहराराम के पानी कनेक्शन बिल, बिजली बिल, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या **RJ21/161/207349** तथा आधार कार्ड संख्या **653922978471** की प्रतियॉ के दस्तावेज पेश किये है, सामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गौर व मनन किया गया। तहसीलदार, सोजत को आदेशित कर पत्रांक/कोर्ट/18/749 दिनांक 10.09.2018 स्मरण पत्र 94 दिनांक 04.02.2019, 243 दिनांक 29.03.2019, 385 दिनांक 25.07.2019, 548 दिनांक 25.07.2019, द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई, जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान खसरा सम्वत् 2028 में सरहद मौजा–सोजत चक 1 की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 356 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार गमाराम के साथ लहराराम दर्ज है जो आगामी जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045 व सम्वत् 2050 से 2053 तथा आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में लहराराम के स्थान पर बोहराराम नाम दर्ज कर दिया गया। जो कि पैन ऑफ मिस्टेक, सद्भाविक त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बोहराराम पुत्र बस्तीराम के स्थान लहराराम पुत्र बस्तीराम दर्ज किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटिवश/सद्भाविक भूलवश गलत दर्ज बोहराराम पुत्र बस्तीराम कौम–घांची के स्थान पर वक्त सैटलमेंट (मिलान खसरा सम्बत् 2028 में दर्ज सही व वास्तविक नाम लहराराम, गमाराम पि0 बस्ताराम कौम घांची सा0 देह दुरूस्त दर्ज करवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 356 का खसरा मिलान संवत 2028 तथा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात अनुसार प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होने से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप सरहद मौजा सोजत चक 1 में स्थित खसरा नम्बर 356 रकबा 2.4600 हैक्टर चा0सो0 व बंजड़ भूमि में गलत दर्ज प्रार्थी का नाम बोहराराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर लहराराम, गमाराम पि0 बस्तीराम कौम घांची सा0 देह

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

खातेदार दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। इस आदेश की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner